

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगठन एवं संस्कार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा से भी किया जाये व कि किसी अन्य वर्गिकारों के नाम से। संवर्धित विवरण पर भी पूर्ण में पर संस्कार हुआ हो तो पर संगठन एवं संस्कार अग्रिम लिखा जाये जिससे समीक्षा हो।



कम : पुरीवर्गिनी
दूरभाष : (0751) 2441896
(0751) 2442629
फैक्स : (0751) 2441748

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक एफ.सम्बद्धता/2012/5911

दिनांक: 29/01/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2430899) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एल.एल.बी. (निवर्धीय) एवं एल.एल.एम., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान/प्रस्ताव करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिच्छेद 27(10) के अन्तर्गत निर्मानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. संजय कुलश्रेष्ठ, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442793)
- (2) डॉ. जी.के. शर्मा, आचार्य, विधि संस्थान जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. आर.जी. नर्ज, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाखा, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाखा, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिच्छेद 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पुस्तक, धरोहर, संशोधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टोफ, प्राणिक संस्था से प्राप्त अनुसूची/अनुसूची प्रमाण पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मत्र प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टोफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अतिरिक्त करें।

स्वायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पत्र क्रमांक 50 (अ अ 2) पर लिखे गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण फर्मागही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में गिरावट नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निजमानुसार अर्धवर्ष जमा करकर नवीन समिति अर्द्धित की जायेगी। सिधे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिच्छेद 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की परसुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों की पी.ए. / डी.ए. / मान्दण महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करवें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आनुसूक्त उच्च शिक्षा, सारपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)